उ०प्र० सरकार का उपक्रम

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 | **E-mail: gstdvvnl@gmail.com** | **GSTIN: 09AACCD0695D1ZS**

पत्रांक : 6464 /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी0 दिनांक 29/05/2018

मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(सामग्री प्रबन्ध–I/II)
(तकनीकि)/(वाणिज्य)/(जानपद),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा।

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बांदा।

विषय :– <u>सुपरविजन चार्ज (*Supervision Charges*) पर जी0एस0टी0 गणना के सम्बन्ध में।</u>

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0–08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2018 दिनांक 23.02.2018 एवं पत्र सं0–09/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2018 दिनांक 24.03.2018 (जिसे इस कार्यालय के पत्र सं0–6145/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जी0एस0टी0 दिनांक 28.03.2018 के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया था) के पृष्ठ सं0 2 पर अंतिम पैरा में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये हैं कि ***"ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ता से सिर्फ Supervision Charges की धनराशि प्राप्त की जाती है उनमें Supervision Charges पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत (वर्तमान दर) लगाया जायेगा।"*** परन्तु कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उक्त दिशा–निर्देशों को गम्भीरता से न पढ़ते हुये अनावश्यक भ्रांतियाँ उत्पन्न कर पत्राचार किये जा रहें हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है एवं निगम के संसाधनों को अनावश्यक रूप से व्यर्थ किया जा रहा है।

अतः आदेशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 की गणना को लेकर किसी भी प्रकार की अनावश्यक भ्रांतियाँ उत्पन्न न की जायें एवं पुनः स्पष्ट किया जाता है कि Supervision Charges पर जी0एस0टी0 की गणना करने के लिए पूर्व की भांति प्राक्कलन तैयार किये जायें, उस पर निर्धारित दर से Supervision Charges की गणना की जाये तथा जो Supervision Charges की धनराशि निकलकर आये, उस धनराशि पर ही जी0एस0टी0 की गणना की जाये:–

<u>उदाहरण :–</u>

Supervision Charges की गणना करने हेतु कॉस्ट डेटा बुक के अनुसार (Line Charges) प्राक्कलन धनराशि				60000/– रू0 मात्र
Supervision Charges	*(माना – 15 प्रतिशत)*	(60000*15%)	*अर्थात Taxable Value*	9000/– रू0 मात्र
(जोड़ें) जी0एस0टी0	*(वर्तमान दर – 18 प्रतिशत)*	(9000*18%)		1620/– रू0 मात्र
उपभोक्ताओं से प्राप्त की जाने वाली धनराशि			*अर्थात Tax Invoice Value*	10620/– रू0 मात्र

नोट–1 : उपरोक्त के अतिरिक्त Proccesing Fees/Fixed Charges/System Loading Charges/Meter Cost जोकि उपभोक्ताओं से प्राप्त की जाती है परन्तु उनको वापिस नहीं की जानी होती है, पर भी निर्धारित दर (वर्तमान दर 18 प्रतिशत) से जी0एस0टी0 अतिरिक्त प्राप्त किया जायेगा।

नोट–2 : जमानत राशि (यदि कोई हो) जोकि निगम का दायित्व होता है एवं उपभोक्ताओं को समय पर नियमानुसार वापिस की जानी होती है, पर किसी भी प्रकार का जी0एस0टी0 नहीं लिया जायेगा।

नोट–3 : उपरोक्त गणनाओं में धनराशि एवं प्रतिशत केवल उदाहरणास्वरूप हैं।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी/दिनांक /05/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य/का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
2. उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षे0ले0का0, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा/आगरा–द्वितीय/अलीगढ़/कानपुर/झांसी/बांदा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
4. अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, एटा को उनके पत्र सं0 6054/वि0वि0ख0(ए) दिनांक 16.05.2018 के सन्दर्भ में।
5. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, द0वि0वि0नि0लि0।

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner